Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिला सशक्तिकरण में स्व सहायता समूह की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

श्रीमति वर्षा कहार* डॉ. पूजा तिवारी**

* शोधार्थी, शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म. प्र.) राजा शंकर शाह वि.वि., छिंदवाडा (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशिका, विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म. प्र.) भारत

शोध सारांश – महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह एक बहुचर्चित विषय बन गया है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे है क्योंकि समूहों में कार्य करने से उनके स्वाभिमान गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति देश के विकास को प्रदर्शित करती है। विश्व का कोई भी देश महिलाओ को हाशिए पर रख कर अपना आर्थिक विकास नही कर सकता है। महिलाओं को देश के विकास की मुख्यधारा से जोडना ही इन्हे सशक्त बनाने के लिए उन्हे निर्णय सक्षम बनाना होगा। सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक और स्वयं के जीवन में निर्णय लेने की क्षमता ही सशक्तिकरण है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मार्च 1975 से अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरूआत की गई तब से विश्व में महिला सशक्तिकरण एक जागरूक अभियान बन गया है। इसके लिए राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रयास भी किए गए। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से सुदृढ बनाने में स्वयं सहायता समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश में लगभग 60 लाख स्वयं सहायता समूहों से 6.7 करोड़ महिलाए जुडी हुई है। परन्तु हमारी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियां महिला समूहों की गतिशीलता, व्यवहार्यता व सहायता में अनेक चुनौतियां खडी करती है। इन चुनौतियों को कम करने में महिला संगठनों समाज सेवी संस्थाओं व गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप महिला समूहों की सक्रियता व सामाजिक आर्थिक रूप से भागीदारी व महिला सशक्तिकरण सही मायने में हो रहा है।

यह अध्ययन पूर्व के अध्ययनों को नवीन परिदृश्य में देखने का प्रयास है।

इस शोध पत्र में मुख्यत महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी – महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, स्व सहायता समूह, महिला स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक विकास।

प्रस्तावना – दुनिया में ऐसा कोई भी देश नही है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हों। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोडे बिना किसी समाज राज्य व देश के आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नही की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ भारत का सपना पूरा नही किया जा सकता, विशेषकर ग्रामीण महिला को सशक्त किए बिना (शर्मा 2013).

स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। जिसमें बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मुहम्मद युनूस का प्रयास उल्लेखनीय रहा है। इन्होने 1970 से ही लघुवित्ता आंदोलन की शुरूआत की थी जिसके तहत गरीबी, विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गयी और आज लघुवित्ता आंदोलन विश्व के 7 हजार संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है। जिससे लगभग 1 करोड 6 लाख लोगो को रोजगार दिया जा चुका है (श्रीवास्तव 2008)। वास्तव में स्वयं सहायता समूह गांव के व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा से संगठित होकर, नियमित रूप से थोडी थोडी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते है तथा जिसका उपयोग सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार समूह के सदस्य हफतें अथवा महीने से एक बार बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर, एक दूसरे की समस्याओं का समाधानकरते है, जिससे ये महिलायें गरीबी, बेरोजगारी तथा निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढा रही है और न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर भी सशक्तिकरण की और अग्रसर है (गुप्ता एवं पंथी 2013)।

महिला सशक्तिकरण को दुनिया में लगभग सभी समाजों में स्त्री पुरूष भेदभाव को कम करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा है। सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर अवसर मिलते है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पुरूष प्रधान समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में वे जागरूक बने।

स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य निर्धनों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना व उन्हें सामर्थ्यवान बनाना है। इससे ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है जिसमें समूह के सदस्य अपनी इच्छा से जितनी चाहे बचत आसानी से कर लेते है। असका अंशदान एक सम्मिलित निधि में करने तथा समूह के सदस्यों को उत्पादकता अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहमति होती है।

सिंह, कुशल व गौतम (2007) ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष दिया है कि महिलओं का एक अत्यधिक बडा प्रतिशत स्व सहायता समूहों की सदस्यता के बाद सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। महिलाओं की समूह

में भागीदारी उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने, आत्मविश्वास अर्जित करने, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण करने योग्य बनाता है।

लोकेश (2009) के अनुसार स्व सहायता समूहों के पास देश में समाजिक, आर्थिक क्रांति लाने की शक्ति है। यह आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रस्थिति, निर्णय निर्माण को परिवर्तित करने में योगदान कर सकता है। और महिलाओं की बाहरी गतिविधियों में वृद्धि करता है।

पुहाजेन्दी एवं बाढात्या (2002) ने अपने अध्ययन में दिखाया है। कि स्व सहायता समूह के सदस्यों ने अपनी आर्थिक अवस्था को उनकी तुलना में जो समूह के सदस्य नही है अधिक उन्नत अनुभव किया है।

स्वयं सहायता समूहों के निष्पादन से संबंधित किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि स्वयं सहायता समूहों को लघु ऋण प्रदान करने से ग्रामीण महिलाओं की भौतिक गतिशीलता, निर्णय के अधिकारों में वृद्धि, सौदा शक्ति तथा विभिन्न स्तरों पर समस्या मात्र वे घर के कामों में ही कुशल नही, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करने में भी निपूण है। इस प्रकार महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण का यह प्रयास सराहनीय है।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की स्थिति का अध्ययन,
2. महिला सशक्तिकरण पर स्व सहायता समूह के प्रभाव का अध्ययन,
3. स्वयं सहायता समूह की प्रगति की समीक्षा करना।

स्व सहायता समूह का उद्देश्य – स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों मुख्य रूप से महिलाओं को लघु ऋण उपलब्ध कराना है। तथा इसके साथ ही साथ बैंकिग गतिविधियों के साथ जोडकर बचत तथा महिलाओं में आपसी सहयोग को बढावा देना है इसके अतिरिक्त इसका प्रमुख उद्देश्य महिलओं में समानता तथा संबद्धता को विकसित करना, आत्म विश्वास बढाना, आत्म निर्भरता बढाना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है, जिससे वे व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त होने के साथ साथ सामूहिक स्तर पर भी सशक्त हो सके और अपने अधिकारों के लिए सामने आ सके।

स्व सहायता समूह का संचालन– समूह के सुचारू रूप सें संचालन के लिए प्रत्येक समूह अपने सदस्यों में से ही तीन प्रतिनिधि अध्यक्ष कोषाध्यक्ष तथा सचिव की नियुक्ति करता है, ताकि समूह क्रियाविधि सुचारू रूप से चल सके। पदाधिकारियों को चुनने का आधार मुख्यत: शिक्षा तथा आत्मविश्वास होता है ताकि समूह में हिसाब किताब का काम ये स्वयं कर सके। प्राय: सुविधादाता द्वा कभी कभी इनको समूह चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रत्येक महीने समूह की नियमित मीटिग होती है, जो कि किसी सार्वजनिक स्थान अथवा प्रत्येक सदस्य के घर बारी बारी से होती है।

महिला स्वयं सहायता समूह समान स्तर की 10 से 20 महिलाओं का वह समूह है जिसके सदस्य स्वेच्छा से इसकी सदस्यता प्राप्त कर पारस्परिक सहयोग व एकता जैसे सिद्धांतों के आधार पर बचत व साख जैसी आर्थिक गतिविधियों की शुरूआत कर सकते है। विभिन्न समूहों के अध्ययन से एक विशेष तथ्य सामने आया है कि महिलाओं के समूह अथवा ऐसे समूह जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, अधिक सफल व निरंतर कार्यशील रहे हे।

स्व सहायता समूहो का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव– स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म गौरव इत्यादि में वृद्धि होती है क्योकि घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी छोटी बचत इकटठी करके ऋण लेकर, बैंक कर्मचारियों से संपर्क लघु उद्यम स्थापित करके, समूह की बैठको की कार्यवाई संचालित करके महिलाओं में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होता है –

स्वनिर्णय की शक्ति – स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। महिलाओं द्वारा बैंको के साथ लेन देन कागजी कार्यवाई इत्यादि करने से उनमें आत्म विश्वास धनपता है।

जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता – समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ जाती है। घर की चारदीवारी में कैद रहने वाली महिलाए इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं, बैक सरकारी तंत्र गैर सरकारी संगठना सूक्ष्म वित संस्थानों इत्यादि से संपर्क में आती है जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते है।

समूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता – अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने वाली महिलाओं की सामुदायिक कार्यो स्वयं सहभागिता पंचायत की बैठको में उपस्थिति अधिक सक्रिय होती है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता – स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है। जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है। तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थय इत्यादि में करती है।

मनोवैज्ञानिक विकास – स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाओं द्वारा स्वयं की पहल पर सामाजिक बदलावों के लिए भागीदारी सुनिश्चत होती है। उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में सामूहिक शक्ति बेहतर करने केलिए कौशल सीखने की क्षमता का विकास होता है।

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के विकास में बाधक तत्व – यद्यपि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है किन्तु भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को स्वयं को समूहों के रूप में संगठित होने व किसी उद्यम के विकास में पुरूषों की तुलना में कही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडता है, जैसे –

महिलाओं की गतिशीलता पर सीमाएं – भारत में पुरूष प्रधान समाज के कारण महिलाओं का जीवन प्राय: घर की चारदीवारी में ही सीमित होता है। इसलिए घर के बाहर जाकर स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित होने की स्थिति में उन पर अनेक प्रकार की सामाजिक बाधाएं होती है।

सामाजिक प्रतिबंध – भारतीय समाज में महिलाओं के रहन–सहन, काम काज रोजगार इत्यादि पर अनेक सामाजिक – पारम्परिक रीति रिवाज भी बाधा के रूप में काम करते है। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वयं के उद्यम के उत्पादों का प्रचार करने व उनको शहरों तक पहुंचाने के लिए पुरूषों की सहायता लेनी पडती है।

बैकर्स का नकारात्मक रवैया – स्वयं सहायता समूहों की सदस्य के रूप में जब महिलाएं बैंको से ऋण इत्यादि के लिए संपर्क करती है तो पूर्व अनुभव के अभाव में उनकी जिज्ञासाएं व शंकाएं अधिक होती है। किंतु बैंकर्स की तरफ से इस स्थिति के प्रति सकारात्मक व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नही किया जाता है। जिससे महिला समूहों का मनोबल कम होता है।

प्रशासनिक बाधाएं – सरकारी संस्थाओं से संपर्क साधने मे महिला समूहों को प्रशासनिक रूढिताओं जटिलताओं भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी पुरूषवादी मानसिकता इत्यादि के कारण अनेक बाधाओ का सामना करना पडता है।

साहित्य की समोक्षा – चौधरी (2010) के अध्ययन के अनुसार, महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई महिला अपने जीवनस्तर को उन्नत करने के लिए विघमान सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्कृति को चुनौती देती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से उसकी योग्यतायें उभरकर आती है। वास्तविक महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में केवल वही गतिविधियां समाहित की जा सकती है, जिसके माध्यम से महिलाएं समाज के वर्तमान व्यवस्थाओं का प्रतिरोधकरती है और इस प्रक्रिया में उनकी जीवन परिस्थितयों में स्पष्ट सुधार परिलक्षित होता है।

सिंह, कुशल व गौतम (2007) ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष दिया है कि महिलाओं का एक अत्यधिक बड़ा प्रतिशत स्व सहायता समूहों की सदस्यता के बाद सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। महिलाओं की समूह में भागीदारी उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने, आत्मविश्वास अर्जित करने, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण करने योग्य बनाता है।

लोकेश (2009) के अनुसार स्व सहायता समूहों के पास देश में सामाजिक, आर्थिक काति लाने की शक्ति है। यह आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रस्थिति, निर्णय निर्माण को परिवर्तित करने में योगदान कर सकता है और महिलाओं की बाहरी गतिविधियों में वृद्धि करता है।

श्रीवास्तव (2020) के अनुसार स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में अनेक गतिविधियों द्वारा न केवल महिलाओं के समाजिक व आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हे अपितु समाज में सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण को विकसित करने में भी सहायक है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति मे सुधार आसानी से देखा जा सकता है। महिलाएं पहले से अधिक जागरूक हुई है इस कार्यक्रम में रूचि रखती है यही कारण है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा समूह की मासिक बैठको में भाग लिया जाता है (श्रीनिवास 2016)

सिंह (2011) के अनुसार वर्तमान में महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत तेजी से बड रही है। इन समूहों का कार्य ऋण प्राप्त किये बिना नही चल पाता। अत: यह समूह ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक से निरंतर जुडते जा रहे है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक ही नही बल्कि निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक भी अपना व्यापार बढाने हेतु गांव में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों तक अपनी पहुच बनाने हेतु निरंतर प्रसासरत है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि समूह की क्रियाओं में भाग लेकर महिलाएं विभिन्न कार्यो से जुडकर विकास के नये आयाम से जुड गयी है। महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य ही यह है कि उनको अपने अधिकारों के प्रति सशक्त किया जाय और परिवार में निर्णय के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढाई जाये।

इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है, जिसके अंतर्गत स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके तहत अब तक 30 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। विभिन्न तथ्यों से स्पष्ट प्रमाण मिलते है, कि इन्हीं समूहों के माध्यम से महिलाओं पर किये गये घरेलू हिंसा तथा शोषण पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगायी गई है, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार भी आया है।

एक समय में जो महिलाएं अशिक्षित तथा अज्ञानी थी, स्वयं सहायता समूह से जुडने के पश्चात अपने स्वास्थ्य बच्ची की शिक्षा भोजन की पौष्टिकता तथा परिवार नियोजन के प्रति जागरूक हो गई है। प्रौढ शिक्षा मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूह आंदोलनों से महिलाओं में नेतृत्व गुणों का भी विकास किया जिससे वे समूह की बात को सामने लाने में सक्षम हुई। इस अध्ययन में समाज के अतिआवश्यक, अविभाज्य किंतु पिछडे हुए अंग महिला को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने हेतु प्रभावी उपकरण स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर दृष्टिपात करने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची : –

1. शर्मा क्षमा 2002 स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य, राजकमल, नई दिल्ली।
2. शर्मा ओमप्रकाश 2004, ग्रामीण समाज में नियोजित सामाजिक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
3. राजकुमार 2005 नारी के बदलते आयाम अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
4. पसूका मार्च 2006 ग्रामीण महिलाओं की बदलती स्थिति, कुरूक्षेत्र, पेज न. 03, भारत सरकार की पत्रिका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. कुमार नीरज मार्च 2007 महिला सशक्तिकरण की कुछ कोशिशें, कुरूक्षेत्र 53 (5)

****